**मुख्य न्यायाधीश एच.एन. सेठ और न्यायमूर्ति एम.एस. लिब्रहान के समक्ष,**

**आर. टी. गुप्ता इंडस्ट्रीज और अन्य, - अपीलकर्ता**

**बनाम**

**एमएस। क्वालिटी स्पिनर और दूसरा,-प्रतिवादी**

**1987 का पत्र पेटेंट अपील संख्या 261**

**3 अगस्त 1987**

**लेटर्स पेटेंट, 1919-क्लॉज X -लंबित दूसरी अपील में निषेधाज्ञा की पुष्टि करने वाला आदेश-आदेश-क्या "अपील क्षेत्राधिकार के अभ्यास में पारित निर्णय" -लेटर्स पेटेंट अपील-क्या ऐसे आदेश के खिलाफ विचारणीय है।**

यह अभिनिर्णीत किया गया है कि लेटर्स पेटेंट के खंड यह खंड उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय उसके अधीक्षक के अधीन न्यायालय द्वारा किए गए अपीलीय आदेश की तुलना में किए गए निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील करने पर भी रोक लगाता है। दूसरे शब्दों में, खंड X अपने दूसरे अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय दिए गए एकल न्यायाधीश के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं करता है। चूंकि निस्संदेह आक्षेपित आदेश (निर्णय) उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपने दूसरे अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि तत्काल मामला क्लॉज एक्स में गिनाए गए चार श्रेणियों में से पहले में आता है। उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन न्यायालय द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किए गए डिक्री या आदेश के संबंध में दिए गए निर्णय। नतीजतन, ऐसे आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

(पैरा 8 और 9)

सिविल विविध में पारित माननीय श्री न्यायमूर्ति डी. वी. सहगल के आदेश के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत अपील। 1987 की संख्या 979 और 981/सी और सिविल विविध। 1987 की संख्या 471/सी, 20 मार्च 1987 को आर.एस.ए. संख्या 489, 1987 से उत्पन्न हुई।

अपीलकर्ताओं के लिए वकील मोहिंदरजीत सिंह सेठी।

**निर्णय**

**मुख्य न्यायाधीश एच. एन. सेठ** -

(1) आर.एस.ए. में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 20 मार्च 1987 के एक आदेश से व्यथित। 1987 का क्रमांक 489, आर.टी. गुप्ता इंडस्ट्रीज (मुकदमे में प्रतिवादी जिसने दूसरी अपील को जन्म दिया) ने इस न्यायालय में लागू लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील दायर की है।

(2) मेसर्स क्वालिटी स्पिनर्स ने अपने साझेदार भगवान दास के माध्यम से रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। आर. टी. गुप्ता इंडस्ट्रीज के खिलाफ 1,73,300 (इसके बाद प्रतिवादी के रूप में वर्णित)। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, वादी-फर्म के एक भागीदार, भगवान दास, जिन्हें वादी नंबर 2 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ने ट्रायल कोर्ट से एक आदेश प्राप्त किया, जिसमें प्रतिवादी को मुख्य लेखा नियंत्रक (आपूर्ति विभाग), नई दिल्ली के कार्यालय से 1,73,300 रुपये की राशि निकालने से रोक दिया गया। वह आदेश तब तक प्रभावी रहा जब तक मुकदमा अंततः ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज नहीं कर दिया गया। वादी ने पहली अपील दायर करके ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री की शुद्धता पर सवाल उठाया, जिसे निचली अपीलीय अदालत ने भी खारिज कर दिया। इसके बाद वादी ने इस न्यायालय के समक्ष 1987 की नियमित दूसरी अपील संख्या 4891 दायर की और एक आवेदन भी दायर किया जिसमें प्रार्थना की गई कि प्रतिवादी-प्रतिवादियों को रुपये की राशि वापस लेने से रोका जाए। दूसरी अपील के लंबित रहने के दौरान मुख्य लेखा नियंत्रक (आपूर्ति

विभाग), नई दिल्ली के कार्यालय से 1,73,300 रु. प्रस्ताव का नोटिस जारी करते हुए, न्यायालय ने उत्तरदाताओं को मुख्य लेखा नियंत्रक (आपूर्ति विभाग), नई दिल्ली के कार्यालय से 1,73,300 रुपये की राशि वापस लेने से रोकते हुए एक पक्षीय निषेधाज्ञा दी।

(3) उत्तरदाताओं ने उपस्थित होकर प्रस्ताव और निषेधाज्ञा की प्रार्थना का भी विरोध किया। पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उक्त अपील को स्वीकार करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। तदनुसार, उन्होंने विस्तृत विचार के लिए अपील स्वीकार कर ली। जहां तक अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना का सवाल है, विद्वान न्यायाधीश ने, अपने आदेश, दिनांक 20 मार्च, 1987 द्वारा, निर्देश दिया कि प्रतिवादी को रुपये की राशि वापस लेने से रोकने के लिए न्यायालय द्वारा पहले ही निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है। मुख्य लेखा नियंत्रक (आपूर्ति विभाग), नई दिल्ली के कार्यालय से 1,73,300 रुपये की अपील का निर्णय होने तक कार्य जारी रखना था। हालाँकि, उन्होंने प्रतिवादी को 1,73,300 रुपये की वापसी के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करके निषेधाज्ञा आदेश को रद्द करने का विकल्प दिया। व्यथित होकर, प्रतिवादी ने लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील दायर की और उसे 1,73,300 रुपये की राशि वापस लेने से रोकने वाले आदेश की वैधता पर सवाल उठाया।

(4) न्यायालय के कार्यालय ने वर्तमान अपील की विचारणीयता पर निम्नलिखित आपत्ति उठाई है:
“वर्तमान एल.पी.ए. नियमित द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। धारा 100-ए सी.पी.सी. द्वितीय अपील में पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई और अपील करने का प्रावधान नहीं है। यह एल.पी.ए. कैसा है? सक्षम ? इस अपील की सुनवाई के समय यह प्रश्न माननीय न्यायाधीशों के ध्यान में लाया जा सकता है।
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-ए इस प्रकार चलती है:-
"किसी भी उच्च न्यायालय के लिए किसी भी पत्र पेटेंट में या कानून के बल वाले किसी अन्य उपकरण में या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, जहां किसी

अपीलीय डिक्री या आदेश से किसी भी अपील को एकल द्वारा सुना और तय किया जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऐसी अपील में ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय, निर्णय या आदेश या ऐसी अपील में पारित किसी डिक्री के खिलाफ कोई और अपील नहीं की जाएगी। "

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि कार्यालय द्वारा उठाई गई आपत्ति को बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 100-ए वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है। उन्होंने धारा में प्रयुक्त शब्दों "जहां किसी अपीलीय डिक्री या आदेश से किसी भी अपील की सुनवाई और निर्णय उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है..." पर जोर दिया और तर्क दिया कि धारा 100 द्वारा बनाई गई रोक -ए केवल उन मामलों के संबंध में प्रभावी होता है, जहां दूसरी अपील के निर्णय के बाद, दूसरी अपीलीय डिक्री आदेश से आगे की अपील पर विचार किया जाता है। यह उन मामलों पर लागू नहीं होता है जहां अपील दूसरी अपील के लंबित रहने के दौरान दिए गए आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती है।

(5) अपील एक क़ानून का प्राणी है। धारा 100-ए अपील का कोई अधिकार नहीं देती। यह केवल धारा में उल्लिखित परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार को रोकता है या ऐसे मामलों में जहां किसी अन्य कानून या कानून के बल वाले उपकरण द्वारा इसकी अनुमति दी गई है। तदनुसार, इस प्रश्न पर विचार करने से पहले कि क्या वर्तमान अपील सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-ए में निहित प्रावधानों द्वारा वर्जित है, हमें पहले यह देखना होगा कि क्या विचाराधीन अपील अन्यथा लेटर्स पेटेंट, या किसी अन्य के तहत कायम रखने योग्य है। कानून या कानून की शक्ति वाला कोई उपकरण। यदि अपील अन्यथा सुनवाई योग्य नहीं है, तो यह केवल इसलिए सुनवाई योग्य नहीं होगी क्योंकि यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-ए द्वारा वर्जित नहीं है।

(6) अपीलकर्ता का दावा है कि वर्तमान अपील लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत चलने योग्य है। वह इस उद्देश्य के लिए किसी अन्य वैधानिक प्रावधान पर निर्भर नहीं है। इस न्यायालय पर लागू लेटर्स पेटेंट के खंड X का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

"और हम यह भी तय करते हैं कि फैसले के खिलाफ लाहौर स्थित न्यायिक उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी (अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किए गए डिक्री या आदेश के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार के अभ्यास में पारित निर्णय नहीं है) उक्त उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन एक न्यायालय, और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दिया गया आदेश नहीं है, और धारा 107 के प्रावधानों के तहत अधीक्षण की शक्ति के प्रयोग में पारित या दिया गया एक वाक्य या आदेश नहीं है। भारत सरकार अधिनियम, या आपराधिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उक्त उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के...लेटर्स पेटेंट में यह खंड उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीशों के सभी निर्णयों के खिलाफ अपील का अधिकार प्रदान करता है सिवाय इसके कि

(1) उक्त उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किए गए डिक्री या आदेश के संबंध में दिए गए निर्णय;

(2) पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दिए गए आदेश;

(3) भारत सरकार अधिनियम की धारा 107 के प्रावधानों के तहत अधीक्षण की शक्ति के प्रयोग में पारित या दिया गया दंड या आदेश, और

(4) उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा आपराधिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित सजा या आदेश।

(7) वर्तमान चर्चा के प्रयोजन के लिए, हम यह मान सकते हैं कि 20 मार्च 1987 का आदेश, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया था, जिसमें अपीलकर्ताओं को रुपये की राशि वापस लेने से रोक दिया गया था। मुख्य लेखा नियंत्रक (आपूर्ति विभाग), नई दिल्ली के कार्यालय से 1,73,300 रुपये, और उन्हें केवल बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर ऐसा करने की अनुमति देना ऊपर उद्धृत लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के अर्थ में एक "निर्णय" है। हालाँकि, इसमें संदेह नहीं किया जा

सकता है कि उक्त आदेश विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दिया गया है, जिसका प्रयोग वह इस न्यायालय के अधीक्षण के अधीन निचली अपीलीय अदालत के एक डिक्री के संबंध में कर रहा था। तदनुसार, वर्तमान निर्णय ऊपर बताई गई चार श्रेणियों में से पहली श्रेणी में आता है और लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत अपील योग्य नहीं है।

(8) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह तर्क देकर मामले को ऊपर उल्लिखित पहली श्रेणी के दायरे से बाहर निकालने का प्रयास किया कि जिस आदेश के खिलाफ अपील की गई है वह एक मूल आदेश है जिसका अपील के तहत डिक्री की वैधता या अन्यथा पर कोई असर नहीं है। तदनुसार, यह नहीं कहा जा सकता कि आदेश अपील के तहत डिक्री के संबंध में है और इस प्रकार यह ऊपर उल्लिखित मामलों की पहली श्रेणी के दायरे में नहीं आएगा। हम इस निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। इस खंड के तहत जो निषिद्ध है वह केवल एक डिक्री या आदेश के खिलाफ एक और अपील नहीं है जो अंततः दूसरी अपील का निपटारा करता है। यह खंड उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय उसके अधीक्षण के अधीन अदालत द्वारा किए गए अपीलीय आदेश के विरुद्ध दिए गए निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील करने पर भी रोक लगाता है। दूसरे शब्दों में, लेटर्स पेटेंट का खंड X अपने दूसरे अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय दिए गए एकल न्यायाधीश के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं करता है।

(9) निस्संदेह आक्षेपित आदेश (निर्णय) न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपने दूसरे अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है (अर्थात एक अपीलीय न्यायालय द्वारा उसके अधीक्षण के अधीन पारित डिक्री के संबंध में अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए) हमारी स्पष्ट राय है कि तत्काल मामला उन चार श्रेणियों में से पहले में आता है जिनके खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील को लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स द्वारा अनुमति नहीं दी गई है।

(10) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील कोई अन्य प्रावधान नहीं बता सके जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को अपील योग्य बनाया गया हो। चूँकि अपील एक क़ानून का प्राणी है और अपीलकर्ताओं को विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में सक्षम बनाने वाला कोई वैधानिक प्रावधान हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना खारिज कर दी जाती है।

**अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।**

Checked By:
Ravleen Kaur
Trainee Judicial Officer
Chandigarh Judicial Academy,
Chandigarh